"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी 2010—माघ 29, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/41/2009/वाक/पांच (20).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10-41/2009/वाक/पांच (45) दिनांक 26-12-2009 की हिन्दी प्रति के संबंध में निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है :—

शुद्धिपत्र

(एक) उक्त अधिसूचना के पंक्ति क्रमांक 3 में शब्दों एवं अंकों "अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) दिनांक 02-04-2007 में" का लोप किया जाय.

(दो) उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक (एक) में अंक "2008" के स्थान पर अंक "2006" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन 1 जनवरी, 2010 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक एफ-10/41/2009/वाक/पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/41/2009/वाक/पांच (20), दिनांक 18-02-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 18th February 2010

NOTIFICATION

No. F-10/41/2009/CT /V (20).—The following corrigendum is being issued in respect of Hindi version of Notification No. F-10/41/2009/CT/V (45) dated 26-12-2009, issued by the State Government in exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) :—

CORRIGENDUM

(i) In the third line of said notification the words and figures "अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) दिनांक 02-04-2007 में" shall be omitted.

(ii) In S. No. (i) of said notification the figure "2008" the figure "2006" shall be substituted.

2. This amendment shall be effect from 1st January, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.